भारत सरकार

पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न सं. 477

06.02.2023 को उत्तर के लिए

बफर जोन का सीमांकन

477. श्री एम.के. राघवन :
एडवोकेट डीन कुरियाकोस :
श्री कोडिकुन्नील सुरेश :
श्री एन.के. प्रेमचन्द्रन :

क्या **पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या सरकार ने पाया है कि राज्य के वन विभाग में पर्याप्त कर्मचारी नहीं हैं और मानव-पशु संघर्षों से निपटने के लिए उनके पास सुविधा नहीं है और यदि हां, तो क्या पर्याप्त संख्या में वन सेवा के अधिकारियों को देश में वन्यजीव वार्डन के रूप में तैनात किया जाता है और यदि हां, तो केरल राज्य के विभिन्न प्रभागों का तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और राज्य वन विभाग को केंद्र द्वारा सुविधा संपन्न करने के लिए उठाए गए कदमों का ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या केंद्र सरकार ने संरक्षित वन के आस-पास के संवेदनशील क्षेत्र के मामले में उच्चतम न्यायालय के आदेश पर कार्रवाई शुरू की है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार ने बफर जोन का वैज्ञानिक तरीके से सीमांकन करने का अध्ययन करने हेतु कोई समिति बनाई है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और सरकार द्वारा समिति की सिफारिश के अनुरूप उठाए गए कदमों का ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या सरकार यह सुनिश्चित करने के लिए कोई कानून पारित करेगी कि उच्चतम न्यायालय का निर्णय रिहायशी क्षेत्रों में बफर जोन बनाए जाने पर लागू नहीं हो और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ड.) क्या सरकार ने इन बफर जोन क्षेत्रों के निवासियों के सामने आए संकटों का पता लगाने के लिए किसी एजेंसी द्वारा कोई अध्ययन कराया है जिन्हें प्रारंभिक मानचित्रण में गलत तरीके से शामिल किया गया था और उन्हें बेदखली का सामना करने की संभावना है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(च) क्या केरल सरकार ने उच्चतम न्यायालय के फैसले के अनुसार बफर जोन की अपेक्षाओं के संबंध में संशोधन करने और बफर जोन आदेश से केरल को छूट देने के लिए कोई अभ्यावेदन दिया है और यदि हां, तो उस पर की गई कार्रवाई का ब्यौरा क्या है; और

(छ) क्या सरकार की योजना देश में संरक्षित वन सीमाओं के भीतर राष्ट्रीय उद्यानों और वन्यजीवों की सीमाओं को बदलने की है और यदि हां, तो इस संबंध में उठाए गए कदमों का ब्यौरा क्या है?

उत्तर

पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन राज्य मंत्री
(श्री अश्विनी कुमार चौबे)

(क): वनों और वन्यजीवों का प्रबंधन, जिसमें मानव पशु संघर्ष और वन सेवा के अधिकारियों की तैनाती शामिल है, मुख्य रूप से संबंधित राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों की जिम्मेदारी है। मंत्रालय द्वारा वन्यजीवों के संरक्षण और उनकी सुरक्षा के लिए केन्द्र प्रायोजित स्कीमों- 'वन्यजीव पर्यावास का विकास', 'हाथी परियोजना' और 'बाघ परियोजना' - के तहत राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को वित्तीय एवं तकनीकी सहायता प्रदान की जाती है।

(ख): पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने राष्ट्रीय उद्यानों और अभयारण्यों के आस-पास पारिस्थितिकीय दृष्टि से संवेदनशील क्षेत्रों के संबंध में माननीय उच्चतम न्यायालय के दिनांक 03.06.2022 के आदेश में संशोधन/स्पष्टीकरण हेतु आवेदन प्रस्तुत किया है और यह मामला न्यायालय के निर्णयाधीन है।

(ग): केन्द्र सरकार द्वारा राष्ट्रीय उद्यानों और अभयारण्यों के आस-पास पारिस्थितिकीय दृष्टि से संवेदनशील क्षेत्रों से संबंधित प्रस्तावों की जांच के लिए सरकारी और गैर-सरकारी सदस्यों को सम्मिलित करके एक विशेज्ञष समिति गठित की गई है, जो राज्य सरकारों से यथाप्राप्त ऐसे प्रस्तावों की मंत्रालय के भीतर जांच कर लिए जाने तथा निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार उन प्रस्तावों पर हितधारकों द्वारा परामर्श किए जाने के पश्चात् केन्द्र सरकार को अपनी सिफारिशें प्रस्तुत करती है।

(घ): ऐसा कोई भी प्रस्ताव पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के विचाराधीन नहीं है।

(ड.): जी, नहीं।

(च): जी, हां। ईएसजेड की अधिसूचना के लिए निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार ईएसजेड को अंतिम रूप देने के संबंध राज्य सरकारों से प्राप्त प्रारूप प्रस्तावों के प्रकाशन से पहले मंत्रालय में उनकी जांच की जाती है। प्रारूप अधिसूचना के पश्चात् प्राप्त दावों और आपत्तियों की जांच करने के उपरांत अंतिम अधिसूचना प्रकाशित की जाती है।

(छ): राज्य/संघ राज्य क्षेत्रों को वन्यजीव (संरक्षण) अधिनियम, 1972 में निहित प्रावधानों के अनुसार राष्ट्रीय वन्यजीव बोर्ड की सिफारिशों पर राष्ट्रीय उद्यानों और अभयारण्यों की सीमाओं में परिवर्तन लाने का अधिकार प्राप्त है।

*****